उनवान - [illegible] बनाम [illegible]

R.C.S. 2017/19

नम्बर अहकाम हुक्म में	
	03/19 प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी वकील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण प्रतिवादी बयान [illegible] 19/04/19 को पेश हो।
	10 04/19 प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी बयान हेतु 24/05/19 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण नियत दिनांक को पेश हो।
	[illegible]/19 प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी बयान हेतु 24/06/19 को पेश हो।
	[illegible]/19 प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी बयान हेतु 07/08/19 को पेश हो।
	[illegible]/19 प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी वकील अनुपस्थित। इनके द्वारा पत्र का निस्तारण हो चुका है। कार्यालय द्वारा को थकावट का कोई कारण नहीं रहा। अतः प्रतिवादी पक्ष द्वारा से बाद हेतु [illegible] किया जाता है।